*185 [*प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।*]

स्कूली बस्तों के बोझ को कम किया जाना

* 185. **श्री मोतीलाल वोरा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बच्चों के बस्तों में कॉपी-किताबों आदि के बढ़ते बोझ के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को देखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कुछ सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए कि स्कूलों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सुझावों पर कितना अमल किया है, कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों के स्कूली बस्तों के भार को कम करने तथा इसकी निगरानी हेतु दिनांक 12.09.2016 के परिपत्र के माध्यम से स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विभिन्न सुझाव साझा किए हैं।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली बस्तों के भार को कम करने के लिए एक नीति तैयार करने हेतु दिनांक 05.10.2018 के पत्र संख्या 1-4/2018-आईएस-3 के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक पत्र जारी किया है। साथ ही इस मंत्रालय ने बच्चों के स्कूली बैग से संबंधित नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है और उन्होंने इस मामले में एक मसौदा नीति प्रस्तुत की है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, ओडिशा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर, उन्होंने स्कूल बैग के भार को कम करने के लिए निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(घ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 1 अप्रैल, 2018 से स्कूल शिक्षा की एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा की शुरुआत की है, जो प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निर्बाध स्कूली शिक्षा की परिकल्पना करती है और जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, पाठ्येत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेल और शारीरिक शिक्षा घटक की शुरुआत की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में विटामिन-डी की कमी के बारे में जागरूकता व्याख्यान आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु एडवायजरी जारी की गई है। फ्री/एक्स्ट्रा पीरियडों में आउट-डोर कार्यकलाप आयोजित करने, मध्यावकाश में मैदान/खुले क्षेत्र में खेल और शारीरिक गतिविधियां आयोजित करने की भी सलाह दी गई है ताकि विद्यार्थियों को सूर्य की रोशनी का लाभ मिल सके। खेल विभाग के सहयोग से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग और फिट इंडिया वीक के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश परिचालित किए हैं।

सीबीएसई ने कक्षा I-XII तक की सभी कक्षाओं के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कम से कम दो खेल गतिविधियों में सहभागिता करना अनिवार्य है और इसे X और XII कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु पात्रता मानदंडों में शामिल किया गया है।

*185. [*The questioner was absent.*]

Reduction in weight of school bags

†*185. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Board of Secondary Education (CBSE) had submitted suggestions in view of the health of the children being adversely affected by the increasing weight of school bags carrying notebooks and text books etc.;

(b) whether any steps have been taken by Government to find out the extent to which schools have implemented the suggestions given by CBSE;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government towards providing higher education and good health to the students?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has shared various suggestions for schools, teachers and parents to reduce and monitor the weight of school bags carried by students *vide* a circular dated 12.09. 2016.

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) and (c) The Ministry of Human Resource Development has issued a communication to all States and UTs *vide* letter no. 1-4/2018-IS-3, dated 05.10.2018, to formulate the policy for reducing weight of school bags. This Ministry has also constituted an expert group to formulate a policy on children school bag and they have submitted a draft policy in this matter.

The States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana, Nagaland, West Bengal, Karnataka, Uttarakhand, Assam, Uttar Pradesh, Goa, Kerala, Odisha, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Gujarat, Haryana, Mizoram, Tripura and Union territories of Delhi, Dadra Nagar Haveli, Chandigarh and Lakshadweep have issued instructions/guidelines to reduce the weight of school bags, as per the information received from them.

(d) Department of School Education and Literacy has launched an Integrated Scheme for School Education - Samagra Shiksha with effect from 1st April, 2018 which envisages school education as a continuum from pre-school to senior secondary level and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels. Realizing the need for holistic development of children, Sports and Physical Education component has been introduced for encouragement of Sports, Physical activities, Yoga, Co-curricular activities etc.

In addition of the above, advisory has been issued to States and UTs for issuing necessary instructions to their schools for conducting awareness lectures on deficiency of Vitamin-D in school assemblies. It has also been advised to conduct outdoor activities in free/extra periods, play and conduct physical activities in field/open area during the intervals so that students are benefitted from sun exposure. Department of School Education and Literacy in co-ordination with Department of Sports, has circulated instructions on Fit India School Ranking and Fit India week in schools to States and UTs.

CBSE has made Health and Physical Education compulsory in all classes from I-XII. All students in school are compulsorily required to participate in at least two sports activities as per their interest and capability and this has been included in the eligibility criteria to appear in Board Exams of classes X and XII.

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्लास एक से लेकर क्लास पाँचवी तक - जैसा सीबीएसई ने बैग के बोझ को कम करने का एक निर्देश दिया है और यह एक बहुत अच्छा निर्देश आया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्लास एक से पाँच तक के बच्चों पर जो सिलेबस का burden डाला जा रहा है, क्या उसके लिए एक बड़ा सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, parents को इन्वॉल्व किया जाए, टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए और एक फ्यूचर कमीशन का गठन किया जाए, जो देखे कि आगे आने वाले समय में बच्चों को क्या

[श्री राकेश सिन्हा]

एजुकेशन चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस चाहिए, खासकर एक से पाँचवी कक्षा के छात्रों के लिए यह आवश्यक है। जब तक हम ऐसा नही करते हैं, तो निजी स्कूलों में यह burden बढ़ता ही रहेगा, बोझ बढ़ता ही रहेगा। क्या मंत्री जी इस तरह का कोई फ्यूचर कमीशन गठन करने का आश्वासन देंगे?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, सीबीएसई बोर्ड ने बस्ते के बोझ को कम करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए हैं और साथ-साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्कूली बस्तों का भार कम करने की दृष्टि से पाँच अक्टूबर, 2018 को एक सामान्य निर्देश जारी किया था और फिर उसी के तहत मंत्रालय ने एक कमिटी भी गठित की, जो विशेषज्ञों का समूह है। उस विशेषज्ञों के समूह ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और श्रीमन्, मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए थे, वे संबंधित राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, तेलंगाना है, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल है, कर्णाटक, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, ओडिशा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र के दादरा एवं नागर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप हैं, इन सभी प्रदेशों ने उनको अधिसूचित कर दिया है। साथ ही पाठ्यक्रम कितना कम होना चाहिए, इस पर जो भारत सरकार के निर्देश हैं, वे सब लागू कर देंगे।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, my supplementary question arises from part (d) of the Question No.185. When we talk about higher education, we find that there is a big anomaly. The anomaly is that in the appointments of TGT, the students of Political Science (Honours) and Economics (Honours) are not taken into consideration. I think this anomaly should be immediately taken care of. That's all, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): It is a suggestion. The Minister need not reply because it is a suggestion.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने बच्चों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? यह मेरा मूलत: प्रश्न है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें कहा है कि परिपत्र के माध्यम से स्कूली बच्चे, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विभिन्न सुझाव साझा किए हैं। सर, मेरा प्रश्न है कि सुझाव साझा करने के अलावा आपके माध्यम से क्या कदम उठाए गए हैं, मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमने जो कमिटी गठित की थी, उस कमिटी की जो अनुशंसाएँ हैं, उनके 15-20 बिन्दु हैं, जिनको मैं बताना चाहता हूँ। उनमें विशेषज्ञों ने बस्ते के बोझ को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, चाहे वह पढ़ाई के लिए डिजिटल व्यवस्था के संबंध में हो, बस्ते में नियमित पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ही रखने के संबंध में हो, लंच बॉक्स और पानी से संबंधित हो, शारीरिक शिक्षा तथा कला-शिल्प से संबंधित पाठ्यक्रमों के विषय में हो तथा किस दिन कौन-सा विषय हो, उसके लिए बाकायदा एक रोस्टर हो। यह लम्बा-चौड़ा है। सीबीएसई और गवर्नमेंट ने पूरी ताकत के साथ इसके लिए प्रयास किया है, ताकि राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से इसको

लागू करें। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, वे इसको अनिवार्य रूप में सुनिश्चित करें, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हम उसकी रेगुलर समीक्षा भी करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Question no. 186.

Self defence training to girls

*186. DR. SASIKALA PUSHPA RAMASWAMY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is imparting any self defence training to girls of classes VI to XII studying in Government schools under any scheme across the country including the State of Tamil Nadu;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is also imparting any self defence training to girls who do not come under purview of any formal education; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes Sir. Self defence training for girls is an activity under Samagra Shiksha. Keeping in view safety and security of girls, Self defence training is imparted to girls of class VI to XII belonging to Government Schools. Fund for this purpose is provided for three months @ ' 3000/- per school per month for inculcating self-defence skills including life skill for self-protection and self-development among the girls. Self defence training is also being given in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) which are residential schools meant for girls of Class VI to XII and belonging to disadvantaged groups.

Central Board of Secondary Education (CBSE) *vide* its circular dated 07.09.2015 has issued an advisory to the schools affiliated to it on the need for imparting self-defence training to girls in classes I-X of one week duration, twice a year.

Self defence training is regularly provided to girls students in KVs, JNVs and Schools run by Central Tibetan Schools Administration, where girls are trained in Judo, Taekwondo and Boxing etc. In KVs, inter-house competitions and tournaments of these games are conducted at Regional and National levels.